मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-14

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई, 2009 (श्रावण 1, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गए। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 75 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 88 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

न्याय-निर्णयाधीन (Sub-judiced) प्रकरण के तथ्यों पर प्रश्न उठाने की अनुमति नियमानुसार नहीं दी जाना

प्रश्न संख्या 16 (क्रमांक 3111) में डॉ. कल्पना परुलेकर, माननीय सदस्या के उत्तर में, नगर निगम, इंदौर में सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन संबंधी प्रकरण के संदर्भ में शासन द्वारा आज पृथकतः वितरित उत्तर द्वारा जानकारी दी गई कि इस विषय पर अनियमितताओं की जांच हेतु जांच आयोग गठित किया गया है।आसंदी की अनुमति से इस प्रश्न पर नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से जनहित संबंधी सामान्य प्रश्नों के उत्तर माननीय मंत्री द्वारा दिये गए।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा म.प्र. विधान सभा नियमावली के नियम 36 (19) को उद्धरित कर न्याय-निर्णयाधीन प्रकरण की सदन में चर्चा नहीं कराने विषय मत व्यक्त किया गया। डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं संबंधित दोषी अधिकारियों के नामों की विस्तृत जानकारी के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि यह प्रकरण जांच आयोग के पास न्याय-निर्णयाधीन है तथा किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश होने अथवा जांच आयोग की परिधि में आने से वह व्यक्ति दोषी नहीं माना जाता, जब तक न्यायालय उसको दण्डित न करे। अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार अध्यक्षीय व्यवस्था दी गई :-

"मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली में "प्रश्नों की ग्राह्यता की शर्तें, नियम 36 (19)" में प्रावधान है कि --"उसमें साधारणतया ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जायेगा जो न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक कृत्य करने वाले किसी सांविधिक न्यायाधिकरण या सांविधिक प्राधिकारी के या किसी विषय की जॉच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जॉच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो।"

इसके साथ ही पुस्तक **"संसदीय पद्धति और प्रक्रिया"** के पृष्ठ 463 में प्रश्न पूछने के संबंध में उल्लेख है कि -- "प्रश्न में साधारणतः ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जाना चाहिए जो किसी न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित पदाधिकारी के या किसी विषय की जॉच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जॉच न्यायालय के सामने विचाराधीन हों किन्तु उस में जांच की प्रक्रिया विषय या प्रक्रम से संबंधित विषयों की ओर निर्देश किया जा सकता है, यदि उससे न्यायाधिकरण या आयोग या जॉच न्यायालय द्वारा उस विषय पर विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना न हो। साधारणतः ऐसे विषयों के संबंध में प्रश्न स्वीकार नहीं किये जाते जिनकी जॉच की जा रही हो। यह विनिर्णय दिया गया है कि किसी ऐसी जॉच के संबंध में जो कि चल रही हो, प्रश्न पूछना उचित नहीं है क्योंकि इससे जॉच के परिणाम पर प्रभाव पड़ सकता है।"

माननीय सदस्या डॉ. कल्पना परूलेकर द्वार नगर निगम इन्दौर में पेंशन घोटाले की जॉच के संबंध में आज की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित प्रश्न 16 (क्र. 3111) पूछा गया है उसमें शासन द्वारा अनियमितताओं की जॉच के लिए जॉच आयोग का गठन किया गया है जिसकी अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 फरवरी, 2008 में प्रकाशित की गई है। इस जॉच आयोग के एकल सदस्य न्यायमूर्ति श्री एन. के. जैन हैं। इस प्रकार इस प्रश्न के विषय पर न्यायिक जांच, जॉच आयोग द्वारा की जा रही है। इसलिए इस पर विधान सभा में प्रश्न पूछना उचित नहीं है और यह विधान सभा के प्रक्रिया कार्य संचालन नियमों के नियम 36 (19) के प्रतिकूल भी है। यदि विभाग द्वारा विधान सभा सचिवालय को समय पर इस संबंध में कि जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया जा चुका है, के बारे में जानकारी दे दी गई होती तो यह प्रश्न ग्राह्य ही नहीं होता और यह स्थिति निर्मित नहीं होती।

अतः मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसरण में, मैं, इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता हूँ।"

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्रीमती सुलोचना रावत, सदस्य ने झाबुआ एवं अलीराजपुर में बाल श्रमिक विद्यालय के नाम पर गबन होने,
(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विशेष भत्तों का लाभ न मिलने,
(3) श्री ब्रजमोहन धूत, सदस्य ने खातेगांव के ग्रामों में जाब कार्ड न बनने,
(4) श्री अजय सिंह, सदस्य ने भोपाल के बेनजीर कालेज में छात्रों पर लाठी चार्ज करने,
(5) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य ने पन्ना जिले के पवई तथा शाहनगर में पेयजल समस्या होने,
(6) श्री नारायण प्रजापति, सदस्य ने सागर जिले के बेडा के चयनित गांव विद्युतीकृत किये जाने तथा
(7) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने छतरपुर के ग्राम प्रकाश-बम्होरी के कृषकों की फसल नीलगायों द्वारा नष्ट करने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 की उपधारा (3) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 356 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-क्र.1473-1-25-2008-अठारह-3, दिनांक 8 जून, 2009 पटल पर रखा।

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ-ए-3-16-08-1 पांच (26) दिनांक 22 जुलाई, 2008; तथा
(ख) क्रमांक एफ-3-41-2008-1-पांच (02) दिनांक 31 जनवरी, 2009,

पटल पर रखे।

(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित का 46 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखा।

(4) श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 23 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ-22-57-2007-आठ, दिनांक 4 जनवरी, 2008,

(ख) क्रमांक एफ-22-37-2007-आठ, दिनांक 15 मई, 2008,

(ग) क्रमांक एफ-22-254-2001-आठ, दिनांक 9 जुलाई, 2008,

(घ) क्रमांक एफ-22-37-2007-आठ, दिनांक 18 जुलाई, 2008 ; तथा

(ङ) क्रमांक एफ-22-37-2007-आठ, दिनांक 30 सितम्बर, 2008,

पटल पर रखे।

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, जनसंपर्क मंत्री ने मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1990 (क्रमांक 15 सन् 1990) की धारा 36 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखा।

(6) श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, 2002 (क्रमांक 15 सन् 2002) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल का कक्षा पांचवी एवं आठवीं विधान सभा क्षेत्रवार वार्षिक परीक्षा परिणाम वर्ष 2007-2008 पटल पर रखा।

(7) श्री जगन्नाथ सिंह, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं छठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 तथा वर्ष 2001-2002 की अनुशंसाओं पर पालन प्रतिवेदन पटल पर रखा।

4. ध्यानाकर्षण

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार, किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही यह अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर ध्यान आकर्षण की चारों सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.),आरिफ अकील, श्री रामनिवास रावत सदस्य, ने बालाघाट जिले के सेवा सहकारी समिति चांगुटोला द्वारा कृषकों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री रत्नेश सॉलोमन, सदस्य, ने दमोह जिले में बलराम तालाब योजना के हितग्राही चयन में अनियमितता किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया..

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य, ने भोपाल के भानपुरा स्थित कचरा खन्ती को बंद न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, ने टीकमगढ़ जिले में संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम जिले के -

(क) शहर के वार्ड नं 23 पारस नगर (डोंसीगांव) में एक लाख गैलन पानी की टंकी निर्माण किये जाने ,

(ख) शहर के वार्ड नं. 23 पारस नगर को जावरा रोड मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क निर्माण किये जाने,

(ग) शहर के सैलाना ओवर ब्रिज के दोनों तरफ डामरीकरण किये जाने,

(घ) ग्राम-बरबोदना में हाईस्कूल खोले जाने, तथा

(ङ) भोपाल शहर के निशातपुरा रेल्वे क्रासिंग पर अण्डर ब्रिज बनाये जाने,

(2) श्रीमती मालिनी गौड़, सदस्य की इन्दौर -

(क) शहर के गंगवाल बस स्टेण्ड लाबरिया भेरु से सिरपुर तक मार्ग का पुनर्निमाण कराये जाने,

(ख) शहर के वार्ड नं. 55 में लालबाग स्थित त्रिवेणी कालोनी से आर.टीओ. मार्ग के बीच पुल निर्माण किये जाने

(ग) शहर के वार्ड नं. 52 की बस्ती में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा

(घ) शहर में शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले जाने,

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के -

(क) मुख्यालय के पुराने अस्पताल भवन में डिस्पेन्सरी खोले जाने,

(ख) विजयपुर में कूनो नदी पर बांध बनाये जाने, तथा

(ग) विजयपुर तहसील के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (संस्थान) में नवीन ट्रेड स्वीकृत किये जाने,

(4) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की ग्वालियर शहर के -

(क) वार्ड क्रमांक 8 में स्थित बाल्मीक बस्ती में विद्युत अपूर्ति हेतु 5 खम्बे लगाये जाने,

(ख) वार्ड क्रमांक 8 में स्थित बाल्मीक बस्ती में नवीन सीवर लाईन बिछाए जाने,

(ग) वार्ड क्रमांक 8 स्थित बाल्मीक बस्ती में पेयजल अपूर्ति की समुचित व्यवस्था किये जाने,

(घ) वार्ड नं. 1 स्थित बदनापुरा, बरा एवं रेशमपुरा की विद्युत लाईन ग्रामीण क्षेत्र से हटाकर शहरी क्षेत्र से जोड़ी जाने,

(ङ) वार्ड नं. 16 रेशममील में रिक्त पड़ी सरकारी जमीन में कन्या हाई स्कूल स्थापित किये जाने,

(च) वार्ड नं. 18 न्यू चंदनपुरा में चन्द्रपाल भदौरिया के यहां से गोरेलाल धमनियां के घर तक सीमेंट खम्बे हटाकर नवीन विद्युत खम्बे लगाये जाने,

(छ) वार्ड नें 18 चन्दनपुरा हरिजन बस्ती में पेयजल हेतु एक बोरिंग कराये जाने, तथा

(ज) वार्ड नं. 14 तुलसी बिहार फेज-2 में विद्युत आपूर्ति हेतु 15 खम्बे, तार एवं ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने,

(5) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य की बालाघाट जिले के -

(क) वारासिवनी के ग्राम थानेगांव नाले पर पुल निर्माण किये जाने,

(ख) वारासिवनी के ग्राम बुदबुदा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाला भवन निर्माण कराये जाने, तथा

(ग) ग्राम पंचायत छोटी (ठीमर टोला) से देवरी के बीच पुल निर्माण किये जाने,

(6) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के -

(क) मऊगंज क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बड़ाटोला, घुरेहटा को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,

(ख) मऊगंज क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय पतुलखी को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,

(ग) मऊगंज क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय कैलाशपुर को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,

(घ) मऊगंज क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय गेदुरहर को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने, तथा

(ङ) मऊगंज के पूर्व माध्यमिक विद्यालय पटेहरा को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन करने,

(7) श्री ताराचन्द बावरिया, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) खिरसाडोह पालीटेक्निक कालेज को माइनिंग इंजीनियरिंग कालेज में उन्नयन किये जाने,

(ख) परासिया कृषि उपमंड़ी के चारों तरफ बाउन्ड्रीवाल तथा मंडी तक रोड बनाये जाने,

(ग) जुन्नारदेव विकासखंड की शासकीय होम्योपैथिक सेनोटोरियम हास्पिटल की मरम्मत करने

(घ) परासिया मुख्यालय में कन्या महाविद्यालय खोले जाने,

(8) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के -

(क) शहर में अग्नि शमन यंत्र सहित प्रशिक्षित कर्मचारी पदस्थ किये जाने, तथा

(ख) ललितपुर मार्ग से अन्जनीमाता मंदिर, बरीघाट तक पक्की रोड बनाये जाने

(9) श्री नारायण प्रसाद प्रजापति, सदस्य की सागर की शाहगढ़ तहसील में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने,

(10) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य की भोपाल शहर के कोटरा सुलतानाबाद के शासकीय आवास गृह क्रमांक (एफ-65 से एफ-70) के सामने मैदान से अतिक्रमण हटाने एवं उद्यान बनाये जाने,

(11) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की भोपाल शहर के वार्ड क्रमांक 40 कृष्णानगर गली नं. 2 एवं 3 में कंक्रिट रोड एवं नाली निर्माण कराये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 14 सन् 2009) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 15 सन् 2009) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 16 सन् 2009) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(अपराह्न 12.58 से 2.35 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(4) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक 2009 (क्रमांक 13 सन् 2009) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(2) कुंवर विजय शाह
(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(4) श्री उमाशंकर गुप्ता
(5) श्री रामनिवास रावत

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(6) श्री शैलेन्द्र जैन
(7) श्री पारस सकलेचा
(8) श्री रामलखन सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(9) श्री ओमप्रकाश सकलेचा
(10) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(11) श्री दीपक कैलाश जोशी
(12) श्री लक्ष्मण तिवारी
(13) श्री राजेश वर्मा

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक 2009 (क्रमांक 13 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

7. मुख्यमंत्री वक्तव्य

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वर्षा से उत्पन्न स्थिति विषयक वक्तव्य दिया।
श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई।

अपराह्न 5.16 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई, 2009 (श्रावण 1, 1931) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.